

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं० 8532

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....मैनपुरी.....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या फायर एक्स.सं० वार्षिक कार्यशीलता प्रमाणपत्र/२०

दिनांक 24-03-2021

सेवा में,

स्वामी / प्रबंधक,

श्री किरन सोनिया

सानियर सेक्टर 02 एच.के.एन.ए. एकेडमी कुरावली रोड मैनपुरी

जनपद - मैनपुरी

विषय - प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाइड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपके प्रार्थना पत्र संख्या NIL दिनांक 24-03-2021

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 30

अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 350/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैनपुरी जनपद मैनपुरी में चालान संख्या 80082 दिनांक 24-03-2021 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 24-03-2021
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। NIL
3. संस्थान का विवरण। श्री किरन सोनिया सानियर सेक्टर 02 एच.के.एन.ए. एकेडमी कुरावली रोड मैनपुरी
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 30
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 30
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाइड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1	<u>CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर</u>	<u>4.5 kg</u>	<u>05</u>	<u>कार्यशील</u>
	<u>ABC फायर एक्सटिंग्यूशर</u>	<u>5 kg</u>	<u>25</u>	<u>"</u>

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाइड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि। निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी मैनपुरी
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय मैनपुरी

(नाम एवं तैसाक्षर)
अग्निशमन अधिकारी
मैनपुरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं भारतीय (सी) विद्युत गैर-संश्लेषित विन्दुओं पर दिनांक 29.04.11 को मेनपुरी का स्थानीय निरीक्षण किया गया। स्कूल भवन लोडइज खोली का ही भवन में संलग्नक निर्धारित प्रारूप की छायाचित्र सहित एवं मानचित्र के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।

अतः उक्त शैक्षणिक भवन हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक यह प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए विधेय किया जाता है तथा निर्गत एक वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा योजना पार करवाकर लेखा शीर्षक 0070- अग्नि से सुरक्षा एवं स्वच्छ में धन जमा करवाकर मासिक एक्सटिंग्यूशरी एवं अन्य सिस्टम को स्थानीय अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से चैक कराते हुए प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, स्कूल भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को अनुपालन या अवसरशील पाये जाने पर जारी किया गया यह प्रमाणपत्र स्वातंत्र्य ही निरस्त माना जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उक्त स्थानपक की होगी।

संलग्नक: यथेपरि।

पत्रांक: साएफआ-अ सु स्कूल 05/11 (एमपीआई)

दिनांक: अप्रैल 30 2021

(संलग्नक सहित सहित)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मेनपुरी